भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 647
24/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावे का निपटारा

647 श्री प्रवीण चक्रवर्ती:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में हर वर्ष तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कितने किसानों का नामांकन किया गया और कितने दावों का निपटारा किया गया;
(ख) इस अवधि के दौरान इन ज़िलों में दावे की सूचना देने और उसके निपटारे के बीच लगने वाला औसत समय कितना है;
(ग) क्या पिछली फसल के मौसमों का कोई बीमा बकाया अभी भी लंबित है और यदि हाँ, तो किस वर्ष से लंबित है; और
(घ) क्या प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना से डेल्टा क्षेत्र में पानी के बहाव में संभावित रुकावट को किसी जोखिम मूल्यांकन द्वारा ध्यान में लिया गया था?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में नामांकित किसानों, भुगतान किए गए दावों तथा लंबित दावों का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** पर है।

योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त होने तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना के 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होता है। हालांकि, (क) दावों में राज्य सरकार के शेयर को प्रदान करने में विलंब, (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने तथा असत्यापित बैंक खातों एवं (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति व इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार तथा बीमा कंपनियों के बीच उत्पन्न विवादों आदि के कारण कुछ दावे लंबित रह जाते हैं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के पश्चात किया जाता है।

(घ): केंद्रीय जल आयोग (CWC) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक द्वारा वर्ष 2019 में प्रस्तुत मेकेदातु बैलेंसिंग रिजरवायर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को दिनांक 29.06.2026 के PA-S Dte., CWC के पत्र के माध्यम से परियोजना प्राधिकरण को वापस लौटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कावेरी जल विवाद प्राधिकरण (CWDT) के निर्णय और CWC द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में, सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन और स्वीकृति हेतु CWC के दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार सभी आवश्यक अद्यतन विवरणों/आरेखों (ड्राइंग) आदि को शामिल करते हुए संशोधित DPR प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

अनुबंध-I

जिला	2023-24			2024-25			2025-26		
	नामांकित किसान (लाख में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	लंबित दावे (रुपये करोड़ में)	नामांकित किसान (लाख में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	लंबित दावे (रुपये करोड़ में)	नामांकित किसान (लाख में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	लंबित दावे (रुपये करोड़ में)
तंजावुर	1.02	45.71	0.02	0.95	104.74	0.12	0.95	13.54	1.78
तिरुवरुर	1.44	65.00	0.03	1.96	84.93	0.12	1.49	44.46	0.54
नागपट्टिनम	0.78	25.01	0.01	1.08	29.22	0.03	0.87	19.70	0.09

******